**कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून**

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-111/2016-17/

दिनांक : /04/2017

**सेवा में,**

**खण्ड विकास अधिकारी,**

**क्षेत्र पंचायत- रामगढ़**

**जिला- नैनीताल**

**विषय : क्षेत्र पंचायत रामगढ़ का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।**

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **06** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इस प्रस्तर को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के प्रस्तर की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

**वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय**

**सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या- 111/2016-17/**

**दिनांक: /04/2017**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून

2- ।निदेशक, लेखापरीक्षा(आडिट निदेशालय द्वितीयतल- आयुक्त कर भवन, जोगीवाला,मसूरी बीईपास, रिंग रोड देहरादून,

3- जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी

**वरि. लेखापरीक्षा**

**अधिकारी/स्थानीय निकाय**

**कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून**

**भाग-एक**

**वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिये खण्ड़ विकास अधिकारी, क्षे.पं.- रामगढ़ पर निरीक्षण प्रतिवेदन**

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड़ विकास अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्रीमती पुष्पा नेगी, - अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत

(ii) रमेश चन्द्र जोशी, खण्ड़ विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री बी.एस. चन्देल,व.ले.प.अ.

(ii) श्री केदार सिंह, स.ले.प.अ. .

(iii) श्री लक्ष्मण सिहं व.ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथि 24.03.2017 से 31.03.2017 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि :2014-15 से 2015-16 तक

**भाग-दो**

**परिचयात्मक :**

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **क्षे.पं.- रामगढ़**

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतो तथा ग्राम पंचायतों की संख्या हैः-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः 60

भौगोलिक क्षेत्र :-142 वर्ग किमी.

जनसंख्या : 39830

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्याः-31

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः04

4- (ब)उपसमितियों , स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: 06

5- कर्मचारियों की संख्या 19

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : - कार्यालय भवन, मीटिंग हाल, कम्प्यूटर कक्ष, भूमि (56 माली 10 मुटठी)

7- पंचायती राज के अपने प्रोजेक्ट :--

8- योजनाओं की संख्या -

9- (अ) सामाजिक संरक्षाः-

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धितः--

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें

(द) लाभार्थियों की संख्याः-

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : आय व्यय विवरण के अनुसार-

(अ)-सामान्यः भाग 3 के अनुसार भाग तीन के अनुसार

(ब) योजनाओं पर प्रत्येक योजना का अलगएवं संलग्नक के रूप में (अलग दर्शाया जाये-लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है -

**भाग-4 (अ)**

**(क) परिचयात्मकः** कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत- रामगढ़** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री बी.एस.चन्देल, व.ले.प.अ. श्री केदार सिंह, स.ले.प.अ.

श्री लक्ष्मण सिंह व.ले.प. द्वारा दिनांक 24.03.2017 से 31.03.2017 तक सम्पादित की गयी।

**(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-**

| **लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0** | **प्रस्तर भाग-IV(ब)I** | **प्रस्तर भाग-IV(ब)II** | **STAN** |
|---|---|---|---|
| (i)महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर | | | |
| - | | | |
| AIR-333/2014-15 | प्रस्तर-01 | प्रस्तर-01 से 04 | 01 |

| | **प्रतिवेदन संख्या वर्ष** | **भाग प्रस्तरों की संख्या** |
|---|---|---|
| (ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: - | | |

**(ग)** सतत अनियमितताओं की सूची: - शून्य

**(घ)** अप्रस्तुत अभिलेख: - शून्य

**प्रस्तर 1:–सांसद निधि योजनान्तर्गत धनराशि ` 18.50 लाख के निर्माण कार्यों को कार्यादेश के विपरीत कराया जाना ।**

सांसद निधि योजनान्तर्गत निर्माण कार्य निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ कराये जाने थे–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना स्थल का फोटो, बीच में तथा योजना समाप्ति पर दो प्रतियां लिये जायें। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध अवश्य कराना होगा, जिसके बिना अंतिम भुगतान किया जाना सम्भव नही होगा।
2. योजना स्थल पर योजना प्रारम्भ करते समय योजना का साइन बोर्ड अवश्य लगाया जायेगा।
3. जिस भूमि में निर्माण कार्य कराया जाये वह भूमि जिस संस्था या व्यक्ति की हो या उसका ओीयर्पित करने का स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो को जिसे ग्राम्य विकास/ग्राम पंचायत के नाम पर होना चाहिए। जिस आशय का प्रमाण भी उपलब्ध कराया जाना होगा।
4. निर्माण कार्य अपर सहायक अभियंता के तकनीकी मार्ग निर्देशन में निर्धरित डिजाइन एवं स्वीकृत आंगणन के अनुसार कराया जाये। यदि योजना में कोई भिन्नता हो तो Variation Statement तैयार कर Variation की स्वीकृति ली जायें।
5. निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशषे ध्यान रखा जाये, योजना निर्माण कार्य, निर्माण कार्य हेतु गठित समिति की देखरेख में कराया जाये।
6. योजना निर्माण स्वीकृत कार्य स्थल पर ही कराया जायेगा, इसमें किसी प्रकार का परिचालन एवं पूर्व निर्मित योजना में धनराशि समायोजन अनुमन्य नही होगा।
7. निर्माण कार्य में सामग्री क्रय करने के लिए अग्रमि अवर अभियंता की संस्तुति पर ही दिया जायेगा।
8. कार्य के भुगतान वित्तीय नियमों के अन्तर्गत योजना में वही अनुमन्य होगा जो सबसे कम होगा।
9. रायल्टी की धनराशि नियमानुसार योजना की माप के अनुसार निर्धारित होगी।
10. योजना पूर्ण हो जाने के उपरांत सम्बंधित विभाग को हस्तान्तरण कर हस्तान्तरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा तथा निर्माण कार्य को 02 माह के भीतर पूर्ण करना होगा।

क्षेत्र पंचायत, रामगढ़ के सांसद निधि योजना से सम्बंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस योजना के अंतर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में निम्नलिखित कमियां पायी गई –

| क0 सं0 | कार्य का नाम | लागत (लाख में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | xzke eqxa: esa iapk;r Hkou ls 'e'kku ?kkV dh vksj [kMtk ,oa fnokj fuekZ.k dk;Z | 2-00 | ¼i½ ftl Hkwfe ij fuekZ.k dk;Z djk;k tkuk Fkk og xzkE; fodkl@xzke iapk;r ds uke dk izek.k i= i=koyh esa miyC/k ugh FkkA<br>¼ii½ dk;Z dh xq.koRRkk ls lEcaf/kr izek.k i= tksfd dk;Z lfefr }kjk fn;k tkuk Fkk] layXu ugh FkkA<br>¼iii½ dk;Z 10 ekg foyEc ls djk;k x;k FkkA<br>¼iv½ eLVj jksy ij Jfed ds uke ds brj gLrk{kj fd;s x;s FksA |
| 2 | xzke flejkM+k ds lehi 'e'kku ?kkV ls eq[; iSny ekxZ rd [kM+tk ,oa lqj{kk fnokj fuekZ.k | 2-00 | ¼i½ dk;Z izkjEHk djus ls iwoZ ;kstuk LFky dk QksVksxzkQ] dk;Z ds chp esa RkFkk dk;Z iw.kZ gksus ij QksVksxzkQ] dk;ZiwfrZ izek.k i= i=koyh esa layXu ugh FkkA<br>¼ii½ dk;Z LFky dh Hkwfe xzkE; fodkl@xzke iapk;r ds uke gksus dk izek.k i= i=koyh esa layXu ugh FkkA<br>¼iii½ dk;Z dh xq.koRrk gsrq izek.k i= dk;Z lfefr }kjk ugh fn;k x;k FkkA<br>¼iv½ dk;Z 12 ekg foyEc ls iw.kZ djk;k x;k FkkA<br>¼v½ dz; dh x;h lkexzh dk LVkd vadu ugh fd;k x;k FkkA<br>¼vi½ eLVj jksy ij Jfedksa ds uke ds brj gLrk{kj fd;s x;s FksA |
| 3 | xzke dQqMk esa izkFkfed fo|ky; ls 'kadj tks'kh ds ?kj | 2-00 | ¼i½ dk;Z izkjEHk djus ls iwoZ ;kstuk LFky dk QksVksxzkQ] dk;Z ds chp esa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | rd lh0lh0 ekxZ dk fuekZ.k | | RkFkk dk;Z iw.kZ gksus ij QksVksxzkQ] dk;ZiwfrZ izek.k i= i=koyh esa layXu ugh FkkA<br>¼ii½ dk;Z dk cqysfVu@lkbu cksMZ¼en]o"kZ]Lohd`r jkf'k½ ugh yxk;k x;k FkkA<br>¼iii½ dk;Z LFky dh Hkwfe xzkE; fodkl@xzke iapk;r ds uke gksus dk izek.k i= i=koyh esa layXu ugh FkkA<br>¼iv½ fuekZ.k dk;Z vij lgk;d vfHk;ark }kjk Lohd`r vkax.ku ls fHkUu FkkA ysfdu fHkUurk gsrq Variation Statement RkS;kj dj Lohd`rh ugh yh x;h FkhA<br>¼v½ dk;Z dh xq.koRrk gsrq lfefr dk xq.koRrk izek.k i= i=koyh esa layXu ugh FkkA<br>¼vi½ dz; dh x;h lkexzh dk LVkd vadu ugh fd;k x;k FkkA<br>¼vii½ dk;Z 18 ekg O;rhr gks tkus ds ckn Hkh Yks[kkijh{kk frfFk rd viw.kZ FkkA |
| **4** | xzke gjrksyk esa m|ku lpy ny dsUnz¼gkfVZdYpj½ ls iwoZ iz/kku fxjh'k 'kekZ th ds ?kj rd lh0lh0 ekxZ fuekZ.k | 2-00 | ¼i½ dk;Z LFky dh Hkwfe xzkE; fodkl@xzke iapk;r ds uke gksus dk izek.k i= i=koyh esa layXu ugh FkkA<br>¼ii½ dk;Z 07 ekg foyEc ls iw.kZ djk;k x;k FkkA<br>¼iii½ dk;Z ij <qyku O;; :0 6985@& fd;k x;k Fkk tksfd vekU; FkkA |
| **5** | xzke xguk esa eksVj jksM ls xkao dh vksj lh0lh0 ekxZ dk fuekZ.k | 2-00 | ¼i½ dk;Z izkjEHk djus ls iwoZ ;kstuk LFky dk QksVksxzkQ] dk;Z ds chp esa RkFkk dk;Z iw.kZ gksus ij QksVksxzkQ] dk;ZiwfrZ izek.k |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | i= i=koyh esa layXu ugh FkkA<br>¼ii½ dk;Z dk cqysfVu@lkbu cksMZ¼en]o"kZ]Lohd`r jkf'k½ ugh yxk;k x;k FkkA<br>¼iii½ dk;Z LFky dh Hkwfe xzkE; fodkl@xzke iapk;r ds uke gksus dk izek.k i= i=koyh esa layXu ugh FkkA<br>¼iii½ lkexzh dz; djrs le; vf/kizkfIr fu;ekoyh 2008 dk ikyu ugh fd;k x;k FkkA<br>¼iv½ dk;Z iw.kZ gksus ds ckn foHkkx@xzke iapk;r@LkaLFkk dks gLrkUrj.k izek.k i= i=koyh esa layXu ugh FkkA<br>¼v½ dk;Z 05 ekg foyEc ls iw.kZ fd;k x;k FkkA<br>¼vi½ eLVj jksy esa ntZ Jfedksa ds uke ds lEeq[k ek= ,d Jfed dh ikorh dk gLrk{kj FkkA<br>¼vii½ fcyksa esa ntZ frfFk;ksa esa dfVax dh x;h FkhA<br>¼viii½ dk;Z iw.kZ gks tkus ds ckn lkexzh dk dz; fd;k tkuk n'kkZ;k x;k FkkA |
| **6** | xzke lHkk /osrh es Vhdk jke iwoZ lSfud vkfn ds ?kjksa rd lh-lh- ekxZ fuekZ.k | 2-00 | ¼i½ dk;Z LFky dh Hkwfe xzkE; fodkl@xzke iapk;r ds uke gksus dk izek.k i= i=koyh esa layXu ugh FkkA<br>¼ii½ dk;Z 18 ekg O;rhr gks tkus ds ckn Hkh viw.kZ FkkA<br>¼iii½ fuekZ.k dk;Z vij lgk;d vfHk;ark }kjk Lohd`r vkax.ku ls fHkUu FkkA ysfdu fHkUurk gsrq Variation Statement RkS;kj dj Lohd`rh ugh yh x;h FkhA<br>¼iv½ viw.kZ dk;Z dks gh gLrkUrfjr dj fn;k x;k FkkA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ;fn dk;Z dks iw.kZ eku fy;k tkrk gS rks vkax.ku lgh ugh cuk;k x;k FkkA |
| 7 | cksgjdksV [kksik rksd esa iwfy;k o lh0lh0 ekxZ fuekZ.k | 2-50 | ¼i½ dk;Z LFky dh Hkwfe xzkE; fodkl@xzke iapk;r ds uke gksus dk izek.k i= i=koyh esa layXu ugh FkkA<br>¼ii½ fuekZ.k dk;Z vij lgk;d vfHk;ark }kjk Lohd`r vkax.ku ls fHkUu FkkA ysfdu fHkUurk gsrq Variation Statement RkS;kj dj Lohd`rh ugh yh x;h FkhA |
| | | | ¼iii½ fcy la0 36 dk Hkqxrku fd;k x;k Fkk ;k ugh ls lEcaf/kr izek.k miyC/k ugh FksA<br>¼iv½ dk;Z ij <qyku O;; :0 3400@& fd;k x;k Fkk] tksfd vekU; FkkA<br>¼v½ dk;ZiwfrZ izek.k i= layXu ugh fd;k x;k FkkA |
| 8 | xzke ctqfB;k esa lSe eafnj ds ikl lkoZtfud LFky fodkl gsrq | 2-00 | ¼i½ dk;Z ij <qyku O;; :0 4500@& fd;k x;k Fkk tksfd vekU; FkkA<br>¼ii½ dk;ZiwfrZ izek.k i= layXu ugh fd;k x;k FkkA |
| 9 | xzke lwih jkex< esa b.Vj dkyst lwih dh pkjnhokjh dk fuekZ.k | 2-00 | ¼i½ eLVj jksy ij Jfedksa ds gLrk{kj miyC/k ugh FksA<br>¼ii½ dz; dh x;h lkexzh dk LVkd vadu ugh fd;k x;k FkkA<br>¼iii½ <qyku ij :0 16232@& dk O;; fd;k x;k Fkk tksfd vekU; FkkA |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में सांसद निधि के अन्तर्गत दिये गये दिशा–निर्देशों का पूर्ण पालन किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि निर्माण कार्य कार्यादेश के अनुसार नही कराये गये।

अतः सांसद निधि योजनान्तर्गत धनराशि `18.50 लाख के निर्माण कार्यों को कार्यादेश के विपरीत कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

## भाग 4(ब) - दो

**प्रस्तर 2:- ` 28.84 लाख की धनराशि के चार दीवारी निर्माण कार्य को तीन टुकड़ों में विभक्त कर करवाया एवं `28.84 लाख व्यय होने के उपरांत भी कार्यों का अपूर्ण रहना।**

उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट)नियमावली 2008 के नियम 42(1)के अनुसार कार्यों के समूह को, जो एक परियोजना के ही भाग है, एक कार्य मानते हुए ही सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मात्र एक कार्य के लिए ली जाय। मात्र इसलिए कार्य के अलग अलग टुकड़े न किए जाएँ कि उच्च स्तर से आवश्यक अनुमति न लेना पड़े। इसके अतिरिक्त नियम 30(4) के अनुसार `10 लाख से अधिक अनुमानित लागत के समस्त मूल निर्माण तथा मरम्मत कार्य लोक निर्माण संगठन द्वारा ही क्रियान्वित किए जाएंगे।

कार्यालय खंड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत रामगढ़, जनपद नैनीताल के निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जांच में पाया गया इकाई द्वारा विकास खंड रामगढ़ के परिसर की चार दीवारी निर्माण कार्य टुकड़ों में बाँट कर निम्नांकित आंगणनो के रूप में करवाया जा रहा था: -

| क्रमांक | योजना | मद | आंगणित धनराशि | ब्यय धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | विकास खंड परिसर की घेराबंदी हेतु दीवार निर्माण भाग -1 | राज्य वित्त | 1120000.00 | 832875.00 |
| 2. | विकास खंड परिसर की घेराबंदी हेतु दीवार निर्माण भाग - 2 | राज्य वित्त | 973000.00 | 526222.00 |
| 3. | विकास खंड परिसर की घेराबंदी हेतु दीवार निर्माण भाग - 3 | क्षेत्र पं॰ वि॰ निधि | 791000.00 | 646702.00 |
| **कुल योग =** | | | **2884000.00** | **2005799.00** |

उपरोक्त निर्माण कार्यों से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि उक्त कार्यों हेतु दो-दो ठेकेदारों से ही निविदा प्राप्त हुयी थी एवं उसी आधार पर कार्य आबंटन किया गया था। कार्य के तीनों भागों हेतु ठेकेदारों को कार्य का आबंटन विभागीय दर से क्रमशः 0.06 प्रतिशत, 0.08 प्रतिशत एवं 0.75 प्रतिशत कम दर पर आबंटित किया गया था। कार्य-

आदेश/अनुबन्ध के अनुसार उपरोक्त कार्यों को 27/08/2015 व 28/05/2015 तक पूर्ण किया जाना था परंतु लेखापरीक्षा तिथि (मार्च 2017) तक उपरोक्त कार्य अपूर्ण थे।

लेखापरीक्षाद्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में उच्चाधिकारियों के संज्ञान हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्र पंचायत निधि एवं राज्य वित्त आयोग से समय समय पर उपलब्ध धनराशि व तत्कालीन सदस्यों की सहमति से पृथक-पृथक भाग में कार्य करवाया गया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यों को टुकड़ों में विभक्त कर नियमों की अवहेलना की गयी थी।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग 4 (ब) - 2

**प्रस्तर 3(अ):- विवादित स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के कारण ` 151642/- धनराशि का अनियमित व्यय किया जाना।**

कार्यालय खंड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत रामगढ़, जनपद नैनीताल के राज्य वित्त आयोग योजना की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि राज्य वित्त योजना 2013-14 के अंतर्गत मुक्तेश्वर में सामूहिक शौचालय व विश्राम गृह का निर्माण किया गया था। इस निर्माण कार्य को स्वीकृतधनराशि` 224000/- के सापेक्ष ` 151642/- में विभागीय पद्धति से 26/06/2014 को पूर्ण किया गया था,जो कि अनुमानित लागत का मात्र 68% था। इसके लिए कोई भी वैरिएशन स्टेटमेंट बनाकर स्वीकृत नहीं कराया गया था। अनुमानित लागत से 32% कम धनराशि में कार्य पूर्ण किए जाने से कार्य की गुणवत्ता से समझौता किए जाने/आगणन गलत बनाये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।आगे जांच में पाया गया कि उक्त कार्य के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्रय बिना कोटेशन/क्रय समिति के माध्यम से किया गया था। प्रयुक्त सामग्री में मात्र ईंट, सरिया व सीमेंट का क्रय दर्शाया गया था जबकि उक्त निर्माण कार्य के आगणन में क्रय की गयी सामग्री के अतिरिक्त कोर सैंड, पत्थर,टॉयलेट शीट, पाइप, फ्लश सिस्टर्न,यूरिनल बेसिन (शौचालय निर्माण हेतु), आदि आवश्यक सामग्री का क्रय किया जाना प्रस्तावित था जिनके बिना निर्माण कार्य किया जाना संभव नहीं था। साथ ही कोई रॉयल्टी की धनराशि भी नहीं काटी गयी थी। इसके अतिरिक्त उक्त निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त सामग्री का क्रय अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार नहीं किया गया था?

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि पर्यटकों एवं व्यापारियों की मांग पर मुक्तेश्वर में शौचालय निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था जिसमे स्थानीय ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधियों के द्वारा धार्मिक भावनाओं के आहत होने के कारण विरोध करने पर कार्य को रोक कर विश्राम स्थल के रूप में कराया गया जिसके कारण शौचालय सामाग्री का प्रयोग नहीं किया गया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करने से पहले कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चयनित भूमि विवाद रहित होनी चाहिए ताकि कार्य निर्विरोध पूर्ण किया जा सके।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग 4 (ब) - 2

**प्रस्तर 3(ब):- `244600/- के निर्माण कार्य में अनियमितताएँ।**

क्षेत्र पंचायत रामगढ़, जनपद नैनीताल के राज्य वित्त आयोग योजना 2014-15 की पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि इस योजना के अंतर्गत रा॰ उ॰ मा॰ वि॰ रीठा में फर्श व बेंचों का निर्माण कार्य` 244600/- में किया गया था जिसमे ` 152227/- की धनराशि श्रमांश,` 87416/- की धनराशि सामग्री व ` 4957/- की धनराशि रॉयल्टी के रूप में व्यय की गयी थी। जांच में पाया गया कि सामग्री के क्रय में अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया था। सीमेंट में क्रय के साथ-साथ ` 4640/- का दुलान का भुगतान भी फर्म को किया गया था। आगे जांच में पाया गया कि पत्रावलियों में संलग्न `152227/- धनराशि के मस्टर रौल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं थे जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि श्रमिकों को भुगतान किया गया था अथवा नहीं।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में नियमानुसार साइट पर सामग्री पहुँच दर पर क्रय किया जाएगा। श्रमिकों के हस्ताक्षर न किए जाने के संबंध में इकाई ने बताया कि हस्ताक्षर करवा लिए जाएँगे। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि श्रमिकों से भुगतान के समय मस्टर रौल पर आवश्यक रूप से हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए थे जो कि उनके द्वारा किए गए कार्य की उपस्थिति एवं श्रमांश प्राप्ति को दर्शाता है।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग 4 (ब) - 2

**प्रस्तर 4:- त्रिस्तरीय पंचायतों में भारत सरकार द्वारा ई-पंचायत के अंतर्गत 11 एप्लीकेशन्सका पूर्ण रूप से लागू न किया जाना।**

त्रिस्तरीय पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं जन सामान्य को इसकी जानकारी सुलभ कराने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-पंचायत के अंतर्गत 11 एप्लीकेशन्स तैयार किये गये हैं ।

कार्यालय खंड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत रामगढ़, जनपद - नैनीताल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत में 11 एप्लीकेशन्स (सॉफ्टवेर) के सापेक्ष कोई भी एप्लीकेशन्स (सॉफ्टवेर)क्रियाशील नहीं हैं ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि सभी एप्लीकेशन्स (सॉफ्टवेर) अक्रियाशील हैं। इन एप्लीकेशन्स (सॉफ्टवेर) से संबन्धित प्रशिक्षण के बारे में पूछे जाने पर बताया कि लेखाकार को कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया। विकास खंड में 60 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 03 ग्राम पंचायतों में ही कंप्यूटर उपलब्ध हैं।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं संसाधनों के अभाव में एप्लीकेशनस  अक्रियाशील थे। परिणाम स्वरूप क्षेत्र पंचायत में भारत सरकार द्वारा ई-पंचायत के अंतर्गत 11 एप्लीकेशन्स लागू नहीं किये जा सके।

अतः भारत सरकार द्वारा ई-पंचायत के अंतर्गत 11 एप्लीकेशन्स लागू नहीं किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**प्रस्तर 5:– मेरा गांव मेरी सड़क योजनान्तर्गत रू0 70.00 लाख अवमुक्त होने के बाद भीं निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना।**

उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय राज्य होने तथा विषम भौगोलिक, आर्थिक एवं संसाधनिक परिस्थितियों के कारण राज्य की मूल आवश्यकताएं प्राथमिकताएं, आधार तथा मानक मैदानी राज्यों से भिन्न है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क विहीन पात्र बसावटों को सडकों से जोडने, आजीविका में सुधार, स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा पलायन को रोकने हेतु मेरा गांव मेरी सडक योजना प्रारम्भ की गयी थी। मेरा गांव मेरी सडक योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण राज्य सरकार (50 प्रतिशत धनराशि) तथा महात्मा गांधी नरेगा(50 प्रतिशत धनराशि) के साथ युगपितीकरण के माध्यम से किया जायेगा। योजनान्तर्गत निमार्ण कार्यों को 03 माह में पूर्ण किया जाना था।

इकाई के मेरा गांव मेरी सडक योजना से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल के पत्रांक 3408/प्रा0स्वी0/मनरेगा/2014–15 दिनांक 21.02.2015 के द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, रामगढ़ को प्रश्नगत योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यों/योजनाओं हेतु धनराशि आवंटित की गयी थी–

| क्र0सं0 | कार्य/योजना का नाम | आवंटित धनराशि |
|---|---|---|
| 01 | धूनि मंदिर में अ0जा0 बस्ती की ओर सी0सी0 मोटर मार्ग निर्माण | 35.00 |
| 02 | ग्राम पंचायत बोहराकोट में तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के तोक खान में डाकबंगला ओर पैदल मार्ग से सी0सी0 मोटर मार्ग निर्माण | 35.00 |

प्रश्नगत कार्यों/योजनाओं के निर्माण हेतु कार्यादेश क्रमशः 25 फरवरी 2015 एवं 07 जुलाई 2015 को जारी किये गये थे।

आगे जॉच में पाया गया कि उपरोक्त दोनों कार्य 24 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अपूर्ण थे तथा योजनाओं से सम्बंधित धनराशि रू 281838/– अवशेष पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि समय व्यतीत होने के साथ–साथ लागत में वृद्धि एवं गुणवत्ता से समझौते से इन्कार नही किया जा सकता है।

अतः मेरा गांव मेरी सड़क योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**प्रस्तर 6:– आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण एवं उच्चीकरण कार्यों का अपूर्ण रहना।**

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास सेवा नैनीताल, के पत्रांक–C–395/जि0का0/लेखा–निर्माण/2015–16 दिनांक 08.07.2015 के द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, रामगढ़ को 11 आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण हेतु धनराशि रू0 50.50 लाख (प्रति केन्द्र रू0 4.50 लाख) आवंटित की गयी थी जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृती 18.08.2015 को प्रदान की गयी थी। आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण 06 माह में पूर्ण किया जाना था। आंगनबाडी केन्द्र भवन मनरेगा योजना की धनराशि से डबटेलिंग कर तैयार किये जाने थे।

इकाई के आंगनबाडी भवन केन्द्र निर्माण से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रश्नगत 11 आंगनबाडी केन्द्र भवन एवं 01 रसोइघर तथा शैचालय निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था–ग्राम पंचायतों को दिनांक 08.07.2015 को धनराशि अवमुक्त की गयी थी। आगे जांच में यह भी पाया गया कि उपरोक्त निमार्ण कार्य 14 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अपूर्ण थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि समय व्यतीत होने के साथ–साथ लागत में वृद्धि एवं गुणवत्ता से समझौते से इन्कार नही किया जा सकता है।

अतः आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण एवं उच्चीकरण कार्यों का अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>**

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति खण्ड़ विकास अधिकारी **रामगढ़**, **जिला-नैनीताल,** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

**वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0**